

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प 18(28)नविवि/ई.ओ.डी.बी/2008पार्ट

दिनांक :

आदेश

विभागीय आदेश/पत्र दिनांक 29.04.2019, 04.07.2019 एवं 15.06.2022 के द्वारा विभाग के अधीन समस्त विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों को विभिन्न नगरीय सेवाएं यथा भवन निर्माण स्वीकृति, मोबाईल टावर/ओ.एफ.सी केबल तथा भूमि रूपान्तरण/90-क आदि हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से ऑनलाईन ही प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। आवेदनकर्ताओं की सुविधा हेतु उक्त सेवाओं के Online Dashboard Public domain में राजस्थान जन सूचना पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट— "udh.rajasthan.gov.in" पर उपलब्ध है उक्त डैशबोर्ड पर विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं की अद्यतन सूचना यथा Approval/Certificate/समय सीमा/शुल्क आदि का अवलोकन किया जा सकता है।

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, एन.सी.आर, जयपुर।
7. शासन उप सचिव— प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम

RajKaj Ref
9740789